



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत ₹0 79.73 लाख से समलघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में ₹0 41.37 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45280/नजारत(5)/2025, दिनांक 09.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत ₹0 79.73 लाख से समलघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में ₹0 79.73 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तों के अधीन ₹0 41.37 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	20560000103 (मुख्य--)	01 (वेतन)	14,34,95,000 रुपये चौदह करोड़ चौत्तीस लाख पंचानबे हजार मात्र	79,73,000 रुपये उनासी लाख तिहत्तर हजार मात्र	79,73,000 रुपये उनासी लाख तिहत्तर हजार मात्र	41,37,000 रुपये इकतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र	13,93,58,000 रुपये तेरह करोड़ तिरानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 79,73,000	₹ 41,37,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056000010300 (मुख्य--)	49 (चिकित्सा व्यय)	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	17,14,000 रुपये सत्रह लाख चौदह हजार मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	4,37,000 रुपये चार लाख सैंतीस हजार मात्र	4,37,000 रुपये चार लाख सैंतीस हजार मात्र	22,37,000 रुपये बाईस लाख सैंतीस	2025 - 2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
						हजार मात्र	
025	2056000010300 (मुख्य--)	29 (अनुरक्षण)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	9,71,000 रुपये नौ लाख इकहतर हजार मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	22 (आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	4,80,000 रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	8,30,000 रुपये आठ लाख तीस हजार मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	4,91,000 रुपये चार लाख इक्यानबे हजार मात्र	0 शून्य	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2025 - 2026
025	2056000010300 (मुख्य--)	08 (कार्यालय व्यय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	10,50,000 रुपये दस लाख पचास	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	2025 - 2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
				हजार मात्र			
कुल				₹ 79,73,000	₹ 41,37,000		

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
- (2) पुनर्विनियोग के माध्यम से केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में प्रशा0वि0 समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।
- (3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनः पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
- (4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (5) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2056000010300 (मुख्य--)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	025	2056000010300 मुख्य--	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	025	2056000010300 मुख्य--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
3	025	2056000010300 मुख्य--	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	025	2056000010300 मुख्य--	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	025	2056000010300 मुख्य--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,37,000 (रुपये चार लाख सैंतीस हजार मात्र)
6	025	2056000010300 मुख्य--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	025	2056000010300 मुख्य--	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			41,37,000 (रुपये इकतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)
महायोग		41,37,000 (रुपये इकतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2026-1117-1-22-4-2025-2001379, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
- (6) निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
- (8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।